28-3-18	प्रार्थी अपीलार्थी के वकील उपस्थित। क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोही उपस्थित। चूंकि मूल अपील प्रकरण आज निर्णित हो चुका है। ऐसी स्थिति में, यह स्थगन प्रार्थना पत्र अब प्रभावहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। अति. जिला कलक्टर सिरोही (राज.)		